B.A. Part III Paper VIII

By :-
Dr. Shailesh Kumar
dept. of economics
Raja Singh College Siwan
mob. 9934785061

11.5.20

अधिकतम सामाजिक हित का सिद्धान्त :- (Principle of maximum Social advantage)

मूल अर्थ (Basic meaning)

इस सिद्धान्त के सन्दर्भ में अधिकतम सामाजिक हित का अर्थ सकल हित न लेकर निवल हित लिया जाता है। लोक वित्त की विषय वस्तु में इस सिद्धान्त का प्रयोग बजट के आकार को निर्धारित करने तथा सरकार की गतिविधियों की सीमाएँ तय करने के लिए किया जाता है। बुनियादी तौर पर इस सिद्धान्त का यह कहना है कि सरकार कोई गतिविधियों से समाज को

(i) हित प्राप्त होता है
(ii) हानि पहुँचती है अथवा
(iii) हित प्राप्ति के साथ हानि भी होती है।

अतः सरकार को केवल उन्हीं गतिविधियों का चुनाव करना चाहिए तथा उन्हें उसी हद तक चलाना चाहिए जिनसे समाज को निवल हित की प्राप्ति हो। (हानि की तुलना में हित की अधिकता) क्योंकि सरकार की हर गतिविधि इसके बजट के व्यय अथवा राजस्व पक्ष में वित्तीय आँकड़ों के रूप में अवतरित होती है।

इसी बात को अन्य शब्दों में भी कहा जा सकता है। समाज के हित और अहित में सरकार एक बहुआयामी और जटिल भूमिका निभाती है। वह समाज की बहुविध सहायक होने के साथ-साथ उसकी रक्षा भी करती है।

तथा उसके नियंत्रण का भी दायित्व निभाती है। यह अपेक्षा की जाती है कि यह सब करने के पीछे उसका उद्देश्य यह रहता है कि समाज के निवल हित को अधिकतम संभव सीमा तक बढ़ाया जाए।

सिद्धान्त :- प्रारंभ में कई अर्थशास्त्रियों ने उचित विश्लेषणात्मक रूप से न देखने की भूल की उन्होंने कई ऐसे अयथार्थ मान्यताओं का सहारा लिया जिससे 'सरकार की बजटीय गतिविधियों के आकार के प्रति दोषपूर्ण निष्कर्ष निकलते थे। उनकी एक बड़ी भूल यह थी कि उन्होंने सरकार को अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग न मानते हुए इसे अर्थव्यवस्था पर थोपी गई एक ऐसी आवश्यक प्रभुता माना जिसके बिना स्वयं समाज और अर्थव्यवस्था के अस्तित्व के ही लुप्त हो जाने का भय होता है। अतः उनके अनुसार राज्य अर्थव्यवस्था पर एक ऐसा बोझ है जिससे बचना तो संभव नहीं है, परन्तु जिसके आकार को न्यूनतम रखने का प्रयत्न किया जा सकता है। इस मतानुसार समाज के लिए सर्वोत्तम स्थिति वही है कि जिसमें राज्य की गतिविधियाँ को यथा-संभव न्यूनतम स्तर पर सीमित कर दिया गया हो। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, इन विचारकों के मतानुसार हर एक की अदायगी से समाज को हानि पहुँचती है क्योंकि कर के माध्यम से समाज के संसाधन राज्य को हस्तांतरित होते हैं। अतः उनका कहना था कि किसी भी राज्य के लिए सर्वोत्तम स्थिति वह है जिसमें राज्य का व्यय और और इसका कर राजस्व दोनों न्यूनतम संभव स्तर पर हों और सरकार का कार्यक्षेत्र अति संकुचित हो।

यदि हम इन यथार्थ मान्यताओं को स्वीकार कर लें कि हर कर की अदायगी से अर्थव्यवस्था संसाधन खोती है और प्रत्येक सार्वजनिक व्यय द्वारा उसे संसाधनों की प्राप्ति होती है तो हम सार्वजनिक बजट के ऐसे आकार का अनुमान लगा सकते हैं जिससे समाज को अधिकतम निवल हित की प्राप्ति हो। इस अनुमान की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त अवधारणाओं की आवश्यकता पड़ेगी।

* सरकार का बजट सदैव संतुलित रहता है, अर्थात उसकी आय आय और व्यय बराबर रहते हैं। आय का कोई भाग अव्ययित नहीं रहता और ना ही निर्धारित व्यय के लिए राजस्व कम पड़ता है।

P.T.O.

Scanned by CamScanner

* राज्य का समस्त आगम कर राजस्व के रूप में होता है, इसकी प्राप्तियों में कर भिन्न घटक जैसे कि ब्याज, सार्वजनिक उद्यमों के लाभ, जुर्माने, शुल्क आदि बिल्कुल नहीं होते।

* कराधान से समाज को होने वाली हानि की निरन्तर मात्रा के साथ-साथ बढ़ती है। अर्थात कराधान पर वर्द्धमान सीमांत सामाजिक त्याग का नियम लागू होता है।

* सार्वजनिक व्यय पर ह्रासमान सीमांत सामाजिक हित का नियम लागू होता है। अर्थात सामाजिक व्यय में वृद्धि के साथ-साथ समाज को इससे होने वाली हित में वृद्धि की दर घटती जाती है।

इस प्रकार यदि हम बजटीय आय व्यय की प्रथम इकाई से प्रारंभ करें तो सीमांत सामाजिक हित की मात्रा सीमांत सामाजिक हानि की मात्रा से कहीं अधिक होती है।

अतः एक स्थिति वह आती है जब घटता सीमांत सामाजिक हित और बढ़ती सीमांत सामाजिक हानि एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। इस सीमा पर पहुँचने तक बजट के आकार में वृद्धि से समाज के निवल हित में भी बढ़ोतरी होती है।

परन्तु यदि सरकार अपने बजट के आकार को इस सीमा से भी अधिक बढ़ाने का प्रयास करे तो सीमांत सामाजिक हानि की मात्रा सीमांत सामाजिक हित की मात्रा से अधिक हो जाने के कारण समाज का निवल हित घटने लगता है। अतः सरकार को अपने बजट के आकार में और वृद्धि नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार यदि बजट का आकार उपरोक्त सीमा से छोटा रह जाए तो समाज बजट से प्राप्य अधिकतम संभव निवल हित के एक अंश से वंचित रह जाता है।

सामाजिक हित के सिद्धान्तानुसार निष्कर्ष यह है कि अधिकतम बजट का आकार वह होना चाहिए जहाँ सार्वजनिक व्यय का सीमांत सामाजिक हित और सार्वजनिक राजस्व की सीमांत सामाजिक हानि में समानता हो।

9.5.20